

आवास संज्ञा क्र. 3812
आधारा एवं पर्यावरण विभाग / 2008
दिनांक 23.12.11 2008

छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
:: मंत्रालय ::

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

16 DEC 2011

रायपुर, दिनांक 14.2011

कमांक -एफ-7-117 / सात-1 / 2011
प्रति,

✓
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय रायपुर ।

R
13/12/11

विषय :- मुख्य सड़क से विकास अनुज्ञा जारी किये जाने स्थल तक के पहुंच मार्ग हेतु शासकीय भूमि को सार्वजनिक मार्ग घोषित किये जाने के संबंध में ।

संदर्भ:- आवास एवं पर्यावरण विभाग का पत्र क्रमांक 2819/2683/2011/32 दिनांक 3.10.2011

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि यदि सार्वजनिक मार्ग और आवेदित कालोनी/भूखंड के मध्य शासकीय भूमि अथवा निजी भूमि है तो पहुंच मार्ग हेतु शासकीय भूमि का आबंटन नियमानुसार मार्ग निर्माण हेतु किया जा सकेगा । इस तरह आबंटित की जाने वाली भूमि Private Builders को शासकीय/नजूल भूमि आबंटन हेतु गठित अंतर्विभागीय समिति द्वारा प्रचलित गाईड लाईन पर आबंटित की जायेगी । भूमि बंटन के पश्चात् ही अनुज्ञा जारी किया जाना उचित होगा क्योंकि किसी भी आवासीय स्थल तक पहुंच मार्ग उपलब्ध होने से भूखंड का मूल्य संवर्धन होता है ।

13-12

32
16/12
(पी.निहलानी)

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
रायपुर, दिनांक

And

पृ.क-एफ-7-117 / सात-1 / 2011
प्रतिलिपि:

समस्त कलेक्टरस, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

(H&E)
17 DEC 2011

20